(19)

# कार्यालय संयुक्त संचालक
## नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, इन्दौर, म.प्र.

पृ. क्र./INDLP-276/14/डीएमडी/नग्रानि/2015 5357 इन्दौर, दिनांक 25/2/15

प्रति,

ऑरेंज इन्फ्राकॉन प्रा. लि.
तर्फे डायरेक्टर श्री नवीन पिता श्री जुगराजजी मेहता
निवासी– यू.जी.–21, बी. सी. एम. हाईटस्, बाम्बे हॉस्पीटल के पास, इन्दौर (म.प्र.)

विषय : ग्राम पिपल्याकुमार, तहसील व जिला इन्दौर में स्थित खसरा क्रमांक 10/8, 11, 39/3/7/मिन–4, 38, 12/2/8 एवं 39/3/7/मिन–5 कुल रकबा 11570.0 वर्गमीटर भूमि पर 45.0 मीटर ऊँचे बहुमंजिला भवन एवं ग्राम लसुडिया मोरी, जिला इन्दौर के खसरा क्रमांक 303/1/5/3 कुल रकबा 780.0 वर्गमीटर भूमि कमजोर आय वर्ग हेतु संशोधित स्थल अनुमोदन बाबद्।

संदर्भ : 1. आपका आवेदन दिनांक 14/03/2014, 2. हाईराईज कमेटी की बैठक दिनांक 11/03/2015 का कार्यवाही विवरण पत्र क्र. 2707 दिनांक 09/04/2015.

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, पूर्व में कार्यालयीन पत्र क्र. 2161 दिनांक 19/04/2012 द्वारा ग्राम पिपल्याकुमार, जिला इन्दौर में स्थित खसरा क्रमांक 10/8, 11, 38, 12/2/8, 39/3/7/मिन–4 व 39/3/7/मिन5 रकबा 11570.0 वर्गमीटर भूमि पर 18.0 मीटर ऊँचे आवासीय भवन हेतु स्थल अनुमोदन म.प्र. ग्राम पंचायत (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1999 के प्रावधानों अनुसार ग्राम लसुडिया मोरी के खसरा क्रमांक 303/1/5/3 कुल रकबा 0.0585 हेक्टेयर भूमि पर कमजोर आय वर्ग हेतु क्षेत्र आरक्षित करते हुए किया गया था।

संदर्भित पत्र द्वारा आवेदक ने विषयांकित भूमि पर बहुमंजिला आवासीय प्रकोष्ठ की अनुमति हेतु 45.0 मीटर ऊँचे भवनों के निर्माण बाबद प्रस्ताव प्रस्तुत किये है। म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों अनुसार 45.0 मीटर से ऊँचे भवनों हेतु ऊँचे भवन स्थल अनुमोदन समिति से स्थल अनुमोदन कराना आवश्यक है।

आवेदक ऑरेंज इन्फ्राकॉन प्रा. लि. तर्फे डायरेक्टर श्री नवीन मेहता, निवासी– यू.जी.–21, बी. सी. एम. हाईटस्, बाम्बे हॉस्पीटल के पास, इन्दौर (म.प्र.) ने ग्राम पिपल्याकुमार, तहसील व जिला इन्दौर में स्थित खसरा क्रमांक 10/8, 11, 39/3/7/मिन–4, 38, 12/2/8 एवं 39/3/7/मिन–5 कुल रकबा 11570.0 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय प्रयोजन हेतु 45.0 मीटर ऊँचे हाईराईज भवनों के निर्माण बाबद म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29(3) के अधीन संशोधित स्थल अनुमोदन बाबद निम्न दस्तावेजों प्रस्तुत किये है :–

1. धारा 29(3) के निर्धारित प्रारूप में आवेदन।
2. आवेदन शुल्क चालान क्र. 62 दिनांक 06/03/2014 द्वारा राशि 10,000/– एवं अनुज्ञा शुल्क क्र. 66 दिनांक 12/6/2015 द्वारा राशि 43,400/– इस प्रकार कुल राशि 53,400/– जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत।
3. खसरा बी–1, पी–2 वर्ष 2013–2014.
4. शपथ पत्र।
5. प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति।
6. पूर्व स्वीकृत अभिन्यास की छाया प्रति।
7. संशोधित मानचित्र।

For Orange Infracon Pvt. Ltd.
Authorised Signatory / Director

अविरत....2

भू-स्वामी के प्रतिनिधि श्री राजेश जैन के साथ बहुमंजिला समिति की गठित स्थल निरीक्षण समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। मौके पर आवेदक द्वारा इस कार्यालय के पत्र क्र. 2161/एस.पी.-624/नग्रानि/2012, दिनांक 19/04/2012 द्वारा स्वीकृत अनुमति अनुसार म.प्र. ग्राम पंचायत (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1999 के प्रावधानों अनुसार विकास अनुमति अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रदत्त की गई थी एवं भवन निर्माण अनुज्ञा ग्राम पंचायत निपानिया द्वारा प्रदाय की गई थी, जिसके आधार पर प्रश्नाधीन स्थल पर 18.0 मीटर ऊँचे भवन की स्वीकृति के क्रम में ब्लॉक ए व बी में पी+5, ब्लॉक सी में पी+2 तथा ब्लॉक ई में पी+3 तक के भवनों तक का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29(3) सहपठित म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के निर्धारित प्रारूप में दैनिक समाचार चौथा संसार एवं नव भारत में दिनांक 08/05/2015 को करवाया गया। सूचना प्रकाशन के पश्चात् श्री प्रदीप हिन्दुजा द्वारा प्रकरण के संबंध में आपत्ति ली गई। उक्त आपत्ति के संदर्भ में कार्यालय में आपत्तिकर्ता को सुनवाई हेतु उपस्थित होने बाबद सूचित किया गया। सुनवाई हेतु आपत्तिकर्ता एवं आवेदक के प्रतिनिधि कार्यालय में उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान आपत्तिकर्ता ने उनकी सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि, प्रकरण का निराकरण किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

आवेदक द्वारा पूर्व में कोई फ्लेट/प्लाट का विक्रय/बुकिंग नहीं किया गया है। अतः आवेदक के शपथ पत्र अनुसार प्रकरण में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति नहीं होने से म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 14(3)(छः) की कार्यवाही नहीं की गई।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण का तकनिकी परिक्षण किया गया, जिसके अनुसार प्रश्नाधीन स्थल का इन्दौर विकास योजना 2021 में भूमि उपयोग आवासीय एवं मार्ग विनिर्दिष्ट है।चूंकि, आवेदक प्रश्नाधीन स्थल पर 45.0 मीटर ऊँचे भवनों का निर्माण करना चाहता है एवं प्रश्नाधीन स्थल इस हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इस कारण ऊँचे भवनों के स्थल अनुमोदन के संबंध में म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 14(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 11/03/2015 में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। हाईराईज समिति द्वारा प्रश्नाधीन भूखण्ड पर 45.0 मीटर ऊँचे भवन हेतु स्थल क्लियरेंस बैठक के कार्यवाही विवरण पत्र क्रमांक 2707 दिनांक 09/04/2015 द्वारा निम्न शर्तों के अधीन किया गया है :-

1. नगर पालिक निगम सीमा में हुई वृद्धि के फलस्वरूप वर्तमान में प्रश्नाधीन क्षेत्र नगर निगम की वृद्धित सीमाओं में समाविष्ट है। प्रश्नाधीन क्षेत्र वृद्धित नगर निगम सीमा में होने से म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1998 के प्रावधान प्रश्नाधीन क्षेत्र में वर्तमान में प्रभावशील है। अतः समिति के मत में म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1998 (संशोधित नियम 2012) के नियम 10 के अनुसार निम्न आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु विहित आकार की आवासीय इकाईयाँ निर्मित करना होगी तथा विहित दर से आश्रय शुल्क का भुगतान भी करना होगा। इस संबंध में आवेदक से विकल्प प्राप्त कर सक्षम प्राधिकारी (आयुक्त, नगर पालिक निगम) द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जावें। नियम 10(2) के तहत कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के लिये आवासीय इकाईयाँ आरक्षित कराने एवं नियम 10(9) के अन्तर्गत संदत्त आश्रय शुल्क के अतिरिक्त नियम 10(10) के तहत विहित दर पर आश्रय शुल्क का भुगतान भी करना होगा, इसके पश्चात् कार्य पूर्णतः प्रमाण पत्र नगर निगम द्वारा जारी किया जावें।
2. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत नियोजन अनुज्ञा प्राप्त करना होगी तथा म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 एवं नगर पालिक निगम अधिनियम अन्तर्गत भवन अनुज्ञा प्राप्त करना होगी।

अविरत....3

For Orange Infracon Pvt. Ltd.

Authorised Signatory / Director

3. प्रश्नाधीन स्थल पर पूर्व में जारी 18.0 मीटर ऊँचे भवन हेतु अनुमति में अतिरिक्त मंजिलों की अनुमति के पूर्व नगर पालिक निगम द्वारा भवन की स्ट्रक्चरल डिजाईन का इंजिनियर से परीक्षण कराया जावें एवं निर्माणाधीन छः मंजिला भवन में उपयोग किये गये एफ.ए.आर. को समायोजित कर अधिकतम एफ.ए.आर. 1:2.0 तथा अतिरिक्त एफ.ए.आर. के मान से पार्किंग का प्रावधान सुनिश्चित कराया जावें।

4. आवेदक को प्रस्तावित भवन के चारों ओर न्यूनतम 6.0 मीटर का स्थान फायर ब्रिगेड मूवमेंट हेतु खुला छोडना होगा, जिस में ट्रांसफार्मर तथा अन्य किसी प्रकार का अवरोध रूपी निर्माण मान्य नहीं होगा।

5. बेसमेंट में जाने हेतु रेम्प का निर्माण फायर ब्रिगेड हेतु आरक्षित मूवमेंट स्पेस में नहीं किया जावेगा।

6. संस्था को एस.टी.पी. लगाना होगा।

7. संस्था को नियमानुसार वाटर हार्वेस्टिंग की उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी तथा परिसर में 25 प्रतिशत क्षेत्र सॉफ्ट सरफेस (हरित क्षेत्र) के रूप में विकसित करना होगा।

8. संस्था को परिसर के अन्दर तथा संलग्न क्षेत्र में जल निकासी हेतु समुचित व्यवस्था करनी होगी।

9. संस्था को म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों अनुसार निःशक्तजनों हेतु समुचित व्यवस्था करनी होगी।

10. फायर फायटिंग सुविधाओं के विस्तार हेतु फायर अथॉरिटी को समुचित सहयोग/ अंशदान देना होगा।

11. मार्ग विस्तार अन्तर्गत आने वाली भूमि बिना मुआवजा के जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के पक्ष में सौंपना होगा, जिसके विरूद्ध नियमानुसार एफ.ए.आर. देय होगा।

प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, विकास योजना 2021 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत ऊँचे भवनों हेतु समिति के अनुमोदन के आधार पर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30(1)(ख) एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पिपल्याकुमार, तहसील व जिला इन्दौर में स्थित खसरा क्रमांक 10/8, 11, 39/3/7/मिन–4, 38, 12/2/8 एवं 39/3/7/मिन–5 कुल रकबा 11570.0 वर्गमीटर भूमि पर 45.0 मीटर ऊँचे आवासीय प्रयोजन के हाईराईज भवनों हेतु एवं ग्राम लसुडिया मोरी, जिला इन्दौर के खसरा क्रमांक 303/1/5/3 कुल रकबा 780.0 वर्गमीटर भूमि कमजोर आय वर्ग हेतु स्थल अनुमोदन निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए किया जाता है :–

1. पूर्व में जारी अनुज्ञा दिनांक 19/04/2012 में संशोधन उपरांत संलग्न संशोधित अनुज्ञा में उल्लेखित प्रावधानों के अधीन अग्रिम कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जावें।

2. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :–

अ. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959
ब. म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बधन तथा शर्तें) नियम 1998
स. अन्य किसी नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत कोई अनुमति/अनुज्ञा अनिवार्य हो तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।
द. नजूल अधिकारी।

अविरत....4

For Orange Infracon Pvt. Ltd.

Authorised Signatory / Director

3. प्रश्नाधीन भूमि पर नियोजन मापदण्ड निम्नानुसार रहेंगे–

अ– ग्राउण्ड कवरेज 30.0 प्रतिशत अधिकतम।

ब– एफ.ए.आर. 2.0

स– एम.ओ.एस. निम्नानुसार रहेंगे :–

1. मार्ग पर सामने 21.0 मीटर
2. दोनों बाजू 10.50 / 10.50 मीटर
3. पीछे दिशा में 10.50 मीटर
4. पार्किंग : आवासीय उपयोग हेतु एक कार पार्किंग प्रति 100.0 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र की दर से तथा इसके अतिरिक्त दुपहिया वाहनों की पार्किंग हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 81 के प्रावधानों अनुसार न्यूनतम स्थल आरक्षित रखना होगा तथा इस संबंध में म.प्र.भूमि विकास नियम, 2012 एवं इन्दौर विकास योजना 2021 के प्रावधानों का पालन करना होगा।

4. बहुमंजिला समिति द्वारा किये गए अनुमोदन में आरोपित शर्तों का पालन करना होगा।

5. प्रश्नाधीन स्थल पर आवासीय उपयोग मान्य होगा।

6. प्रश्नाधीन भूमि की दक्षिण दिशा में इन्दौर विकास योजना 2021 अनुसार प्रस्तावित निपानिया मार्ग की चौडाई 30.0 मीटर रखते हुए मार्ग मध्य से 15.0 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु खुली छोडी जाना आवश्यक है।

7. पूर्व में इस कार्यालय के ज्ञाप क्र. 2162 दिनांक 19/04/2012 द्वारा 18.0 मीटर ऊँचे भवन हेतु स्थल अनुमोदन किया गया था, जिसमें तत्समय प्रवृत्त म.प्र. ग्राम पंचायत (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1999 के प्रावधानों अनुसार 1.0 कि.मी. की परिधि में कमजोर आय वर्ग हेतु भवन बनाने का आवेदक द्वारा प्रस्तुत विकल्प अनुसार प्रावधान रखा गया था, जिसके आधार पर म.प्र. ग्राम पंचायत (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1999 में विहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकास अनुमति एवं संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा भवन निर्माण अनुमति प्रदान की गई है एवं उक्त अनुमतियों के आधार पर 18.0 मीटर ऊँचे भवन का निर्माण स्थल पर प्रगति पर है। अतः 18.0 मीटर ऊँचे भवन हेतु तत्समय प्रवृत्त नियमों अनुसार 1.0 कि.मी. की परीधी में कमजोर आय वर्ग हेतु भवनों का प्रावधान यथावत रखते हुए तथा 18.0 मीटर (छः मंजिल) के ऊपर के नवीन प्रस्तावों हेतु बहुमंजिला समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वर्तमान में प्रश्नाधीन क्षेत्र नगर निगम की वृद्धित सीमाओं में समाविष्ट होने से म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 संशोधित नियम, 2012 के प्रावधानों अनुसार निम्न आय एवं कमजोर आय वर्ग हेतु विहित दर पर आश्रय शुल्क जमा करने के संबंध में आवेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत कॉलोनी विकास हेतु म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 प्रभावशील है। उक्त नियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी, आयुक्त, नगर पालिक निगम है। प्रकरण में म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 के अन्तर्गत विकास अनुमति देने के पूर्व समस्त नियमों का पालन कराते हुए विकास अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। बहुमंजिला समिति की बैठक दिनांक 11/03/2015 में लिये गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत विकल्प का परीक्षण कर सक्षम प्राधिकारी (आयुक्त, नगर पालिक निगम) द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जावें। म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 संशोधित नियम, 2012 अनुसार आश्रय शुल्क का प्रावधान विस्तृत भवन मानचित्र के समय करना आवश्यक होगा तथा इसकी गणना का परीक्षण स्वयं के स्तर से कर मान्य करने का दायित्व सक्षम प्राधिकारी का है। यदि प्रावधान में कोई कमी हो तो उसको समायोजित करने के पश्चात् ही विकास अनुज्ञा जारी की जावें तथा यदि इस कार्यालय से कोई संशोधन अपेक्षित हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकास अनुज्ञा के पूर्व कार्यालय को अवगत कराया जावें।

अविरत.....5

For Orange Infracon Pvt. Ltd.

Authorised Signatory / Director

8. बहुमंजिला समिति द्वारा किये गए निर्णय अनुसार म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 संशोधित नियम, 2012 के नियम 10 के अनुसार निम्न आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु विहित आकार की आवासीय इकाईयाँ निर्मित करना होगी तथा विहित दर से आश्रय शुल्क का भुगतान भी करना होगा। इस संबंध में आवेदक से विकल्प प्राप्त कर सक्षम प्राधिकारी (आयुक्त, नगर पालिक निगम) द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जावेंगी। इसके पश्चात् ही कार्य पूर्णतः प्रमाण पत्र नगर निगम द्वारा जारी किया जावें।

9. विषयांकित भूमि पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1998 के तहत समस्त औपचारितकताऐं पूर्ण कराने के पश्चात् तथा उपरोक्त प्रावधानों का पालन करते हुए इन्दौर विकास योजना 2021 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अंतर्गत नगर पालिक निगम से बहुमंजिला भवन हेतु विस्तृत भवन मानचित्र स्वीकृत कराये जाने के उपरांत ही स्थल पर बहुमंजिला भवन का निर्माण किया जावे।

10. स्वास्थ्य पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल–मल, विद्युत, ड्रेनेज, आदि का विकास स्थानीय संस्था की देख–रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।

11. यह अनुज्ञा पत्र जारी होने के दिनांक से तीन (3) वर्ष की कालावधि के लिए प्रभावशील रहेगी और उसके पश्चात् यह अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी। परन्तु आवेदक द्वारा समयावधि समाप्त होने के पूर्व आवेदन करने पर इस अनुमति को वर्षानुवर्ष दो वर्ष तक (एक–एक वर्ष) के लिये बढाई जा सकेगी। किसी भी दशा में उक्त अनुमति की अवधि पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

12. संलग्न मानचित्र को भू–स्वामित्व का दस्तावेज नही समझा जावे।

13. मार्ग विस्तार के अन्तर्गत आने वाली भूमि का कब्जा बिना मुआवजा के इन्दौर विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/कलेक्टर कार्यालय अथवा मार्ग विकास की क्रियान्वयन संस्था को सौपना होगा। इसके विरूद्ध आवेदक को म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 61 फुंटनोट (1) अनुसार अतिरिक्त एफ.ए.आर. की पात्रता होगी।

14. म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1998 एवं अन्य प्रचलित नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत कोई अनुमति/अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक हो तो उसके स्थल पर विकास/निर्माण के पूर्व आवेदक को प्राप्त करना होगा।

15. अनुमोदित मानचित्र की एक सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा।

16. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 78(4) के प्रावधानों के अनुसार निर्मित होने वाले भवनों में शहरी जल प्रदाय प्रणाली रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके पश्चात् ही भूखण्ड पर जल विद्युत कनेक्शन संबंधी संस्थाओं के द्वारा किया जा सकेगा।

17. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 एवं 33 तथा 52 का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण के संबंध में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 65 से 89 (यथा लागू) के साथ–साथ सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

18. भवन में एस.टी.पी./रिसाईकलिंग प्लांट लगाना अनिवार्य होगा तथा यह प्लांट सबसे नीचे वाले बेसमेंट में निर्मित किया जावेगा।

अविरत...6

For Orange Infracon Pvt. Ltd.

Authorised Signatory / Director

19. प्रत्येक तल पर पृथक–पृथक प्रकार के कचरे रखने के स्थान आरक्षित रखते हुए भू–तल पर एक पृथक–पृथक कचरा घर बडे रूप में ऐसे स्थान पर बनाने होंगे कि, नगर निगम वाहन द्वारा आसानी से कचरा उठाया जा सके एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली अपनानी होगी।

20. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42(3) के अनुरूप नेशनल बिल्डिंग कोड भाग–4 में दी गई अनुशंसा के अनुरूप अग्निशमन व्यवस्था कर अग्नि प्राधिकारी से अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। अग्निशमन संबंधी उपायों की नियमानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने के उपरांत ही दखलकारी अनुज्ञा पत्र जारी किया जाये।

21. भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.09.2009 की अनुसूची की कंडिका 8(क) के अनुसार 20,000 वर्गमीटर या अधिक किन्तु 15,00,000 वर्गमीटर से कम भवन एवं संनिर्माण परियोजनाओं में तथा 8 (ख) के अनुसार 50 हेक्टेयर क्षेत्र या उससे अधिक और/या 1,50,000 वर्गमीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र के नगरी और क्षेत्र विकास में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति ली जाना अनिवार्य है। म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरणीय विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–23/2003/32, दिनांक 14.10.2005 अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्र. एसओ 801 (ई) दिनांक 07.07.2004 के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के दायरे में आती है तो इकाई प्रबंधन को/संबंधित आवेदक को नियमानुसार ई.पी.ए.एक्ट/ई.आई.ए. के तहत सक्षम प्राधिकारी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा State or Union territory Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही परियोजना से जुड़े किसी भी निर्माण कार्य को प्रारंभ करना आवश्यक व अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक इन्वायरमेंट इम्पेक्टस असेसमेंट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से जल व वायु सम्मति आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे तथा निर्माण के पूर्व ई.आय.ए. क्लीयरेंस लेना भी अनिवार्य होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संबंधी समस्त प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा।

22. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 86 के अनुसार अग्निशमन की व्यवस्था करना आवश्यक होगी तथा सक्षम अधिकारी, अग्निशमन से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

23. भवन के अन्दर प्राथमिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा।

24. भवन में अग्नि प्राथमिक मटेरियल का उपयोग सुनिश्चित करना होगा।

25. बेसमेंट में एन.बी.सी. व म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 73, 76 का पूर्णतः पालन करना होगा।

26. भवन में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट (सालिड वेस्ट) के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश का पालन करना होगा तथा ठोस अपशिष्ट को तीन अलग–अलग श्रेणी में विभक्त कर भवन के लिये डाक यार्ड में तीन अलग–अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने तथा डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक की होगीं।

27. भवन का निर्माण भूकंप अवरोधी तकनीकी के अनुसार एवं निर्धारित मानकों के अनुसार करना होगा। किसी भी प्रकार का डिजाईन फाल्ट अथवा स्वीकृति के विपरित निर्माण की अव्यवस्था में आवेदक की जवाबदारी होगी।

28. भवन में निर्धारित मापदण्ड अनुसार ग्रीन बेल्ट विकसित करना अनिवार्य होगा।

अविरत.....7

For Orange Infracon Pvt. Ltd.

Authorised Signatory / Director

29. परिसर में वर्षा अथवा अन्य किसी प्रकार का जल आस–पास की सडकों पर प्रवाहित न हो, इस बाबत् समुचित उपाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से करना अनिवाय होगा।

30. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 96 के तहत कुर्सी तल का प्रमाण–पत्र नियम 97 के तहत सर्विस व अधिभोग प्रमाण–पत्र तथा नियम 98 के तहत भवन पूर्णतः का प्रमाण–पत्र लेना अनिवार्य होगा।

31. इस अनुमति का उपयोग किसी प्रकार के ऋण प्राप्त करने हेतु तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक की आवेदक भूमि व्यपवर्तन तथा म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1998 के अन्तर्गत अनुमतियॉं प्राप्त नहीं कर लेता।

32. यदि अन्य विभागीय/अधिनियमों के अन्तर्गत आवश्यक आपत्तियों/अनुमतियों के कारण अभिन्यास में परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस बाबत् अभिन्यास पुनः अनुमोदित कराना होगा।

33. भूमि पर विकसित होने वाले भूखण्डों/भवन के विक्रय के सम्बंधी इश्तहार प्रकाशन में नगर तथा ग्राम निवेश, स्थानीय निकायो, डायवर्शन, नजूल अनापत्ति, अरबन लेण्ड सिलिंग से छूट, म.प्र. प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति सम्बन्धी आदेशो के क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

34. किसी भी प्रकार के भू–स्वामित्व अथवा सीमा संबंधी विवाद होने पर या दी गई जानकारी असत्य पाए जाने पर या उक्त ज्ञापन में उल्लेखित शर्तो के उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहित (रिव्होक) कर दी जावेगी।

संलग्न– स्थल मानचित्र।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
इन्दौर म.प्र.

पृ. क्र./INDLP-276/14/डीएमडी/नग्रानि/2015 इन्दौर, दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. निजी सहायक–आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सक्षम प्राधिकारी एवं आयुक्त, नगर पालिका निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, यदि प्रश्नाधीन भूमि के स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार के विवाद कार्यालय में प्रचलन में हो तो इस कार्यालय को अवगत करावे तथा इस अनुमति आदेश के आधार पर कोई कार्यवाही न करें।
6. सक्षम अग्नि प्राधिकारी एवं आयुक्त, नगरीय प्रशासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद सीमा शुल्क एवं सेवा कर, माणिकबाग पैलेस, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. अधीक्षक यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) क्रमांक 1, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. संभागीय इंजीनियर (शहरी वृत्त), विद्युत वितरण कंपनी लि., इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. वरिष्ठ–पंजीयक, पंजीयन कार्यालय, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
11. तहसीलदार, तहसील इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. क्षेत्रिय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण निवारण मण्डल बोर्ड, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. वेबसाईट कॉपी।

संलग्न– स्थल मानचित्र।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
इन्दौर म.प्र.

For Orange Infracon Pvt. Ltd.

Authorised Signatory / Director

(8)
(14)

# कार्यालय संयुक्त संचालक
## नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इन्दौर म.प्र.

क्रमांक/ 2161 /एस.पी–624/11/नग्रानि/12, इन्दौर, दिनांक 19-4-2012

प्रति,

1. श्री आशीष पिता श्री विजयकुमार गोयल, 2. श्री प्रेमचंद पिता श्री मन्नालाल गोयल, 3. श्रीमती कनकलता पति श्री प्रेमचंदजी गोयल, 4. श्री विजय कुमार पिता श्री मन्नालाल गोयल, 5. श्रीमती कृष्णा पति श्री विजय कुमार गोयल, 6. श्री गोपाल पिता श्री प्रेमचंदजी गोयल, 7. श्री आनन्द पिता श्री प्रेमचंद गोयल, 8. श्री प्रेमचंद गोयल (एच.यू.एफ.) तर्फे कर्ता श्री प्रेमचंद पिता श्री मन्नालाल गोयल सभी निवासी– 4, कैलाश पार्क कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.) 9. मेसर्स ऑरेंज इन्फ्राकॉन प्रा. लि. तर्फे डायरेक्टर श्री नवीन पिता श्री जुगराजजी मेहता पता– यू.जी.–21, बी. सी. एम. हाईट, बी. सी. मेहता मार्ग, इन्दौर (म.प्र.)

ग्राम पिपल्याकुमार, तहसील व जिला इन्दौर की भूमि खसरा क्रमांक 11, 10/8, 39/3/7, 38, 12/2/8, 39/3/7 रकबा 1.586 हेक्टेयर एवं ग्राम लसुडिया मोरी, तहसील व जिला इन्दौर के खसरा क्रमांक 303/1/5/3 रकबा 0.078 हेक्टेयर इस प्रकार कुल रकबा 1.664 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भवन उपयोग हेतु स्थल अनुमोदन बाबत्।

आपका आवेदन दिनांक 03/11/2011.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में आवेदक आवेदक 1. श्री आशीष पिता श्री विजयकुमार गोयल, 2. श्री प्रेमचंद पिता श्री मन्नालाल गोयल, 3. श्रीमती कनकलता पति श्री प्रेमचंदजी गोयल, 4. श्री विजय कुमार पिता श्री मन्नालाल गोयल, 5. श्रीमती कृष्णा पति श्री विजय कुमार गोयल, 6. श्री गोपाल पिता श्री प्रेमचंदजी गोयल, 7. श्री आनन्द पिता श्री प्रेमचंद गोयल, 8. श्री प्रेमचंद गोयल (एच.यू.एफ.) तर्फे कर्ता श्री प्रेमचंद पिता श्री मन्नालाल गोयल सभी निवासी– 4, कैलाश पार्क कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.) 9. मेसर्स ऑरेंज इन्फ्राकॉन प्रा. लि. तर्फे डायरेक्टर श्री नवीन पिता श्री जुगराजजी मेहता पता– यू.जी.–21, बी. सी. एम. हाईट, बी. सी. मेहता मार्ग, इन्दौर (म.प्र.) द्वारा ग्राम पिंपल्याकुमार, तहसील व जिला इन्दौर की भूमि खसरा क्रमांक 11, 10/8, 39/3/7, 38, 12/2/8, 39/3/7 रकबा 1.586 हेक्टेयर एवं ग्राम लसुडिया मोरी, तहसील व जिला इन्दौर के खसरा क्रमांक 303/1/5/3 रकबा 0.078 हेक्टेयर इस प्रकार कुल रकबा 1.664 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भवन उपयोग हेतु स्थल अनुमोदन हेतु निम्न लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन ।
2. आवेदन शुल्क चालान क्रमांक 1, दिनांक 13/06/2011 द्वारा राशि 94,600/– जमा।
3. खसरा बी–1, पी–2 वर्ष 2010–2011
4. शपथ पत्र कमांक 08AA 604793 दिनांक 17/10/2011.
5. क्षतिपूर्ति पत्र कमांक 08AA 604789 दिनांक 17/10/2011.
6. मानचित्र (अभिन्यास)

उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर भू–स्वामी के प्रतिनिधि की उपस्थित में वरिष्ठ भू–मापक द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया है, जिसमें स्थल रिक्त होना पाया गया है। प्रश्नाधीन भूमि को दक्षिण दिशा में प्रस्तावित 30.0 मीटर चौडे मार्ग से पहुंच उपलब्ध है। प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना–2021 में भूमि उपयोग प्रस्तावित आवासीय एवं मार्ग निर्दिष्ट है।

.....2

For Orange Infracon Pvt. Ltd.
Authorised Signatory / Director

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एंव शपथ पत्र के आधार पर ग्राम प्रिपल्याकुमार, तहसील व जिला इन्दौर की भूमि खसरा क्रमांक 11, 10/8, 39/3/7, 38, 12/2/3, 39/3/7 रकबा 1.586 हेक्टेयर एवं ग्राम लसुडिया मोरी, तहसील व जिला इन्दौर के खसरा क्रमांक 303/1/5/3 रकबा 0.078 हेक्टेयर इस प्रकार कुल रकबा 1.664 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भवन उपयोग हेतु संलग्न मात्रचित्र में दर्शाये अनुसार म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (3) सहपठित म.प्र. भूमि विकास नियम–1984 के नियम 27 (1) एंव 2 (5) के तहत नियोजन अनुज्ञा निम्न शर्तो के आधार पर आवेदक के पक्ष में प्रदान की जाती है :–

1. प्रश्नाधीन भूमि पर नियोजन मापदण्ड इस प्रकार मान्य होंगे :–

   अ– ग्राउण्ड कवरेज 30 प्रतिशत अधिकतम
   ब– एफ.ए.आर. 1:1.3 अधिकतम
   स– एम.ओ.एस संलग्न मानचित्र अनुसार।
   द– भवन की ऊँचाई 18.0 मीटर (पी+6) अधिकतम
   ड– पार्किंग : 1 कार प्रति 100.0 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र की दर से।

2. निम्नलिखत अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगाः–

   अ. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172
   ब. म.प्र. ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बधन तथा शर्ते) नियम 1999
   स. नजूल अधिकारी इन्दौर
   द. अन्य किसी निकायों/अधिनियमों के अंतर्गत कोई अनुमति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य हो तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

3. संलग्न मानचित्र को भू–स्वामित्व का दस्तावेज नही समझा जावे।

4. प्रश्नाधीन भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित प्रस्तावित मार्ग की चौडाई 30.0 मीटर भूमि लोक निर्माण विभाग के अधिग्रहण अनुसार मार्ग विस्तार हेतु खुली छोडी जाना आवश्यक है।

5. म.प्र. ग्राम पंचायत (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बधन तथा शर्ते) नियम 1999 के प्रावधानों के अनुसार कमजोर आय वर्ग हेतु निगमानुसार संलग्न मानचित्र में दर्शाये गये भूखण्ड पर कमजोर आय वर्ग हेतु विहित आकार की प्रस्ताव अनुसार आवासीय इकाईयॉ निर्मित किये जाने का विकल्प अनुसार मान्य किया है। यह प्रावधान कॉलोनाईजर निर्बधन तथा शर्ते नियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी का है। अतः प्रावधान अनुसार भूमि से 1.0 कि.मी. के भितर ग्राम लसुडिया मोरी के सर्वे क्र. 303/1/5/3 रकबा 0.078 हेक्टेयर भूमि पर क्षेत्र सुरक्षित रखा गया है। इसकी गणना स्वयं के स्तर से कर मान्य करने का दायित्व सक्षम प्राधिकारी का है। यदि प्रावधान में कोई कमी हो तो उसको समायोजित करने के पश्चात् ही विकास अनुज्ञा जारी की जावें।

6. म.प्र. ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 1999 के प्रावधानों के तहत् नियमानुसार बाह्य विकास शुल्क, पर्यवेक्षक शुल्क एंव अन्य शुल्क जमा कराने के पश्चात तथा इन नियमों के तहत समस्त आवश्यक कार्यवाही संपन्न कराने के पश्चात ही विकास की अनुमति प्रदान की जावे।

For Orange Infracon Pvt. Ltd.

Authorised Signatory / Director

.....3

7. म.प्र. ग्राम पंचायत (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 1999 के प्रावधानों के अनुसार समस्त आधार भूत सुविधाओं जैसे जल प्रदाय व्यवस्था, जल मल निकासी की व्यवस्था का विकास पूर्ण कर विकास पूर्णता का प्रमाण–पत्र आवेदक भूमि स्वामी (कॉलोनाईजर) सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

म.प्र. भूमि विकास नियम–1984 के नियम 89 के प्रावधानों के अनुसार मानसिक एंव शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों को (विकलांग व्यक्तियों के लिये) समस्त आवश्यक सुविधायें सुनिश्चित करने के लिये प्रावधान कराया जावे साथ ही शासन के आदेशानुसार निःशक्त व्यक्तियों के लिये यथोचित आरक्षण करना अनिवार्य होगा।

इन्दौर विकास योजना–2021 के प्रावधानों के अनुसार भूमि का उपविभाजन अथवा भूखण्डों का विक्रय मान्य नही होगा एंव निर्मित बिल्टअप क्षैत्रफल का ही विकय किया जा सकेगा।

10. विषयांकित भूमि के प्रस्तावित अभिन्यास के आसपास लगी हुई भूमियों पर निर्मित/अनुमोदित मार्गो, प्रस्तावित मार्गो, भूखण्डों, खुले क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों की निरंतरता का समायोजन किया जावे।

11. उपरोक्त प्रावधानों का पालन करते हुए इन्दौर विकास योजना एंव भूमि विकास नियम–84 के प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम पंचायत से विस्तृत प्रस्ताव मानचित्र स्वीकृत कराये जाने के उपरांत ही स्थल पर भवन निर्माण किया जावे।

12. भवन का निर्माण भूकम्प अवरोधी तकनीकी के अनुसार एंव निर्धारित मानकों के अनुसार करना होगा। किसी भी प्रकार का डिजाइन फाल्ट अथवा स्वीकृति के विपरीत निर्माण की अव्यवस्था में आवेदक की जवाबदारी होगी।

13. यह अनुमति प्राप्त होने के दिनांक से 3 वर्ष तक वैध रहेगी।

14. भवन में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश का पालन करना होगा तथा ठोस अपशिष्ट को तीन अलग–अलग श्रेणी में विभक्त कर भवन के लिये डाक यार्ड में तीन अलग–अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने तथा डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक की होगी।

15. भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रकिया आवेदक द्वारा अपने स्वंय के खर्चे से की जाना अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था की नियतिम अंतराल पर निरीक्षण किया जा सकेगा।

16. स्वास्थ्य पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल प्रदाय व्यवस्था, जल–मल निकासी की व्यवस्था विद्युत प्रदाय की व्यवस्था आदि का विकास स्थानीय संस्था की देखरेख में आवेदक को स्वयं करना होगा।

17. निर्मित किये जाने वाले भवनों शहरी जल प्रदाय प्रणाली हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रकिया अपनानी होगी। इसके पश्चात ही भूखण्ड पर जल विधुत कनेक्शन संबंधित संस्थाओं के द्वारा किया जा सकेगा।

....4

For Orange Infracon Pvt. Ltd.

Authorised Signatory / Director

18. अनुमोदित मानचित्र की एक सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा।

19. सीमांकन प्रतिवेदन अनुसार स्थल पर अभिन्यास की सीमाओं में परिवर्तन मान्य नहीं होगा। अनुमोदित अभिन्यास के स्थल पर सत्यापन हेतु आवेदक को अपने स्वामित्व की भूमि की सीमांए एंव प्रस्तावित विकास कार्यो के स्थल पर पत्थर एंव चूने के माध्यम से स्पष्ट अंकित करते हुए, तदानुसार स्थल पर प्रत्येक भूखण्ड, मार्ग, खुले क्षेत्रों, सुविधाओं, सेवाओं हेतु आरक्षित भूमि/भूखण्ड की माप अनुसार अभिन्यास तैयार कर सक्षम प्राधिकारी कालोनी सेल से सुनिश्चित करायेगा। इस प्रकार तैयार किये गये मानचित्र का विकास अनुमति जारी की जावें। किसी भी प्रकार से आंतरिक विचलन होने पर तद्नुसार सीमांकन कर मान्य करने पर ही विकास अनुमति प्रदान की जावेगी।

20. किसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व अथवा सीमा संबंधी विवाद होने पर या दी गई जानकारी असत्य पाए जाने पर या उक्त अनुज्ञा की शर्तो का उल्लघंन होने पर यह अनुज्ञा म.प्र. भूमि विकास नियम-1984 के नियम 25 के तहत प्रति संहित (रिव्होक) कर दी जावेगी।

संलग्न- अनुमोदित मानचित्र।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
इन्दौर म.प्र.

पृ.क्र./ /एस.पी-624/11/नग्रानि/12, इन्दौर दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. सक्षम प्राधिकारी एंव अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इन्दौर की और आवश्यक कार्यवाही हेतु यदि प्रश्नाधीन भूमि के स्वामित्व के सम्बंध में किसी प्रकार का वांद विवाद कलेक्टर कार्यालय में प्रचलन में हो तो इस कार्यालय को अवगत करावे तथा इस अनुमति आदेश के आधार पर कोई कार्यवाही न करें।
2. तहसीलदार, तहसील इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण मंडल इन्दौर को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
5. वरिष्ठ-पंजीयक, पंजीयन कार्यालय जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. सरपंच ग्राम पंचायत निपानिया, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एंव कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. वेबसाईट कॉपी।

संलग्न- अनुमोदित मानचित्र।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
इन्दौर म.प्र.

For Orange Infracon Pvt. Ltd.

Authorised Signatory / Director